पंजीयन कमांक 30738 / 16



सिस्टम परिवर्तन अभियान

(Crusaders Against Corruption)



S.P.A

(Compaign For Administrative, Judicial, Political & Media Accountability- Cum- Reforms)
Flat No. 03, 4th Floor, Muskan Heights, Saraswati Nagar, Jawahar Chowk, Bhopal – 462003
Mob.- 7828287122, 9425193990 (Whatsapp) Email: azadsinghdabas5@gmail.com

आजाद सिंह डबास
IFS
Addl. PCCF (Retd.)
अध्यक्ष
(Anti-Corruption, Climate change, Social & Political Activist)

क्रमांक / 1720

भोपाल, दिनांक 08.11.2026

प्रति,

श्री उपेन्द्र जैन
महानिदेशक
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ म.प्र.।

विषयः- श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री, म.प्र द्वारा भारी भ्रष्टाचार करने के कारण उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने बाबत्।

श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा अपने विभाग के अंतर्गत विगत 03 वर्ष से भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैः–

1. <u>सरकारी स्कलों में 149 करोड़ का अनुरक्षण (मेंटेनेंस) घोटाला :–</u>

दिनांक 13 अगस्त 2026 को भोपाल से प्रकाशित 'दैनिक भास्कर' अखबार में छपी खबर अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में सरकारी स्कलों में बड़ा अनुरक्षण (मेंटेनेंस) घोटाला हुआ है। यह मामला सबसे पहले मैहर जिले के राम नगर विकासखण्ड में सामने आया जिसमें स्कूलों की मरम्मत के नाम पर 4.37 करोड़ रूपये हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी विद्यालयो की भवन मरम्मत, पार्किंग शेड और सायकल स्टैंड जैसे लघु निर्माण कार्यो के लिए दिये गये। मैहर कलेक्टर सुश्री रानी बाटड के आदेश पर गठित जांच समिति ने पाया कि 18 से अधिक स्कूलों में वास्तविक निर्माण कार्य हुए ही नही और करोड़ों रूपये विभिन्न फर्मो को दे दिये गए। आश्चर्यजनक यह है कि दिनांक 17.12.2025 को कार्यो की मंजूरी दी गई। दिनांक 18.12.2025 से जिलों में सप्लाई शुरू हो गई और दिनांक 30.12.2025 से पहले कार्यो को पूरा दिखा दिया गया। भोपाल की वाणी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मटेरियल सप्लायर, महाकाल ट्रेडर्स सतना और रूद्र एंटरप्राइजेज मैहर के खाते में राशि पंहुच भी गई।

कुछ समय बाद पता चला कि मरम्मत कार्यो में ऐसी अनियमितताएं प्रदेश के 60 से अधिक विकासखण्डों में हुई हैं जिनमें 149 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है। यह घोटाला विगत बजट सत्र के दौरान उठा था जिसकी जांच हेतु 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' की अपर परियोजना संचालक सुश्री नंदा भलावे की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के द्वारा जून के अंतिम सप्ताह में शासन को रिपोर्ट भेज दी गई। इस रिपोर्ट को न तो सदन में रखा गया और ना ही मंत्री को भेजा गया। इसे लोक शिक्षण संचालनालय में भेज दिया गया। इतने बड़े घोटाले में वित्त अधिकारी श्री राजेश मौर्य, उपसंचालक श्री पी के सिंह बघेल (सेवानिवृत) और तृतीय वर्ग कर्मचारी श्री योगेश रावत को मुख्य दोषी मानते हुए मात्र नोटिस जारी किये गये और 40 विकासखण्ड वित्त अधिकारियों (डीडीओ) से जवाब मांगकर जांच की खानापूर्ति की गई है। इस घोटाले की विधिवत् जांच होनी चाहिए।

2. <u>सरकारी स्कलों में 350 करोड़ का यूनिफार्म घोटाला :–</u>

जून 2026 के समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 52 लाख से ज्यादा छात्र–छात्राओं को यूनिफार्म सप्लाई करने के लिए दिनांक 03.06.2026 को 350 करोड़ रूपये का जो टेंडर जारी हुआ था, उस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रोक लगा दी है। यह रोक एक लोकल अपैरल एसोसिएशन द्वारा निविदा प्रकिया (बिडिंग प्रोसेस) में योग्यता की शर्तो को चुनौती देने के बाद लगाई गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री विवेक रूसिया और जस्टिस विनय सराफ की डिविजन बैंच ने दिनांक 15.07.2026 को मामले की सुनवाई की और राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। माननीय न्यायालय ने कहा 'तब तक सबंधित टेंडर को अंतिम रूप नही दिया जायेगा।' माननीय न्यायालय को बताया गया कि मध्यप्रदेश पाठय पुस्तक निगम (टीबीसी) द्वारा टेंडर के लिये तय किये गये योग्यता मानदण्ड असल में

Scanned with OKEN Scanner

लोकल इंडस्ट्रीज को बाहर कर देते हैं। माननीय न्यायालय को सूचित किया गया कि टीबीसी द्वारा यूनिफार्म सप्लाई करने के लिए निविदा प्रपत्र में जो शर्तें दी गई हैं, उसके अनुसार स्पिनिंग मिलों के लिए 700 करोड़ और गारमेंट मैन्यूफैक्चरर्स के लिए 233 करोड़ रूपये का अनिवार्य सालाना टर्न ओवर, प्रति वर्ष 50 लाख यूनिफार्म की प्रोडक्शन क्षमता और पिछले 3 वर्षो में 105 करोड़ रूपये के समान काम का पिछला अनुभव जैसी शर्तें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME's), पॉवरलूम यूनिटस, बुनकरों, महिलाओं के स्वसहायता समूहों और छोटे पैमाने की इंडस्ट्रीज को इस प्रकिया से बाहर कर देती हैं।

JAIMA (जबलपुर अपैरल इनोवेशन एण्ड मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन) के सचिव द्वारा माननीय न्यायालय को यह भी अवगत कराया गया कि टेंडर की शर्तें **'म.प्र स्टोर परचेज एण्ड सर्विस प्रोक्योरमेंट रूल्स 2023'** के खिलाफ है जिन्हें MSME's के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। उन्होनें यह भी आरोप लगाया कि टेंडर के मानदण्ड राज्य के बाहर की कुछ कंपनियों को फायदा पंहुचाने के लिए बनाये गये हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि पाठय पुस्तक निगम द्वारा यूनिफार्म सप्लाई के इस टेंडर को मुम्बई बेस्ड **'मफतलाल'** नामक कपंनी के लिए तैयार किया गया था। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इस कंपनी के पास न तो कोई गारमेंट यूनिट है और ना ही कंपोजिट मिल है। यूनिफार्म सप्लाई के इस फर्जी कार्य में मफतलाल कंपनी का सहयोग संगम मिल भीलवाड़ा, कंचन मिल भीलवाड़ा, बांसवाड़ा मिल भीलवाड़ा इत्यादि करते हैं। अगर इसकी मौका जांच करा ली जाए तो सारी स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जावेगी। गौरतलब है कि शासन द्वारा माननीय न्यायालय में अभी तक अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। यहां यह भी गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कुछ समय पहले कहा था कि "नया सेंट्रलाइज्ड सिस्टम यूनिफार्म की एक जैसी क्वालिटी और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। उन्होनें यह भी कहा था कि महिलाओं द्वारा यूनिफार्म समय पर सप्लाई करने में दिक्कते आ रही थी। इस्तेमाल हो रहे कपड़े की क्वालिटी को लेकर भी समस्याएं थी।" मंत्री का यह बयान पूर्णतः भ्रामक एवं निराधार है। यह बयान मात्र कमीशन खोरी को जायज ठहराने की ही एक कवायद थी। महिला स्वसहायता समूह अच्छा कार्य कर रहे थे। इन समूहों को IIM Indore ने यूनिफार्म की सिलाई और सप्लाई के मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी दी थी। यह प्रकरण वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके समस्त पहलुओं की जांच ई.ओ.डब्ल्यू द्वारा की जाना चाहिए।

3. <u>सांदिपनी स्कूलों के लिए रसोई सामग्री (Kitchen Equipments & Kitchen Utensils) खरीदने में भ्रष्टाचारः–</u>

पाठय पुस्तक निगम द्वारा सांदिपनी स्कूलों के लिए रसोई सामग्री (Kitchen Equipments & Kitchen Utensils) खरीदने हेतु दिनांक 04.06.2026 को निविदा बुलाई गई। इस टेंडर डाक्यूमेंट के पेज नं. 51 के आयटम 14 पर कुल 116 चपाती मेकर मशीन खरीदने का लेख है जो 1 घंटे में 1000 रोटियां बना सकें। पाठय पुस्तक निगम द्वारा इस टेंडर की टेक्निकली क्वालीफाइड बिडस की आनलाईन कमर्शियल बिड दिनांक 19.06.2026 को खोली गई जिसमें **मेसर्स अर्थव एंटरप्राइजेस देहरादून** की बिड को मान्य किया गया। इस टेंडर में 1 चपाती मेकर मशीन की कीमत 7,74,842/– मान्य की गई। इस प्रकार 116 मशीने राशि रू. 8 करोड 98 लाख 81 हजार 672 में खरीदी जानी थी जबकि कलेक्टर डिंडोरी द्वारा ये मशीने 2 लाख 14 हजार में खरीदी गई हैं।

4. <u>विगत 03 वर्षो में 92 हजार 520 सरकारी स्कूलों को आवंटित राशि में करोड़ों का घोटालाः–</u>

श्री उदय प्रताप सिंह के शिक्षा मंत्री रहते विगत 03 वर्ष में प्रदेश के 92 हजार 520 सरकारी स्कूलों को आंवटित राशि में करोड़ों का घोटाला हुआ है। इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए **राज्य शिक्षा केन्द्र** के संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने हाल ही में समस्त कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी है। इसमें <u>म.प्र स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति</u> द्वारा स्कूलों को मिले बजट और उसके खर्च का सोशल ऑडिट करने का लेख है। इस ऑडिट से कुछ निकलने वाला नही है। आंवटित बजट की ई.ओ.डब्ल्यू द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके।

5. <u>विगत 03 वर्ष में पाठ्य पुस्तक निगम में कागज खरीदी एवं प्रिन्टिग दरों में करोड़ों के घोटालेः–</u>

पाठ्य पुस्तक निगम में विगत 03 वर्षो में कागज खरीदी एवं प्रिन्टिग दरों के टेण्डरों में करोड़ों के घोटाले हुए हैं। दिनांक 21.08.2026 को भोपाल से प्रकाशित 'दैनिक भास्कर' समाचार पत्र में यह खबर छपी थी कि प्रदेश के

Scanned with OKEN Scanner

सरकारी स्कूलों में नया सत्र शुरू हुए 04 महीने से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन 15 लाख विद्यार्थियों की 65 लाख किताबों की छपाई अब तक शुरू नही हुई है। कक्षा 5 वीं के सभी विषयों और 7 वीं की गणित पार्ट–2 व सामाजिक विज्ञान पार्ट–2 की हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू माध्यम की किताबें अटकी हैं। चिंता की बात यह है कि अभी अगर वर्क ऑर्डर जारी हो भी जाए तब भी किताबें नंवबर से पहले स्कूलों तक पंहुचना मुश्किल है। राज्य शिक्षा केन्द्र के अपर संचालक ने मई 2026 में ही किताबों की डिमांड भेज दी थी। पाठय पुस्तक निगम (टीबीसी) ने 17 जून को छपाई के टेंडर जारी किये। तत्कालीन एमडी श्री विनय निगम ने अपने ट्रांसफर से पहले तकनीकी बिड खोल दी थी, केवल फाइनेशिंयल बिड खोल कर वर्क ऑर्डर जारी होना था लेकिन नये एमडी श्री रोहित सिंह के कार्यभार संभालने के 02 माह बाद तक भी ये दोनों कार्य नही किए गए। पाठय पुस्तक निगम के अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा स्थिति के मददेनजर अगले सत्र की किताबें भी सितम्बर 2027 तक ही विद्यार्थियों को मिल पाएंगी। गौरतलब है कि टीबीसी हर साल 9 करोड़ किताबें छापता है जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रूपये आती है। इसी कमीशन के खेल में टीबीसी के वरिष्ठ अधिकारी लगे रहते हैं और गरीब बच्चों की पढ़ाई बरबाद कर रहे हैं।

पाठ्य पुस्तक निगम में खरीदी में हो रही मनमानी/भ्रष्टाचार का एक ज्वलंत उदाहरण दिनांक 06.11.2026 की बोर्ड बैठक में उजागर हुआ। निगम की बोर्ड बैठक में पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी श्री रोहित सिंह 460 करोड़ की कागज खरीदी, प्रिन्टिग के तय कीमत से 70 प्रतिशत अधिक के टेण्डर अपने हस्ताक्षर बिना ही पारित करवाना चाहते थे। यह बहुत बड़ा घोटाला स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री संजय गोयल की समझदारी से हाल–फिलहाल टल गया है। अभी तक कागज खरीदने और प्रिन्टिग के टेण्डर नही होने से स्कूलों में 12वीं तक के 80 लाख से अधिक छात्र–छात्राओं को वर्ष 2027 में स्कूल की किताबें मिलना मुश्किल है जो आर्थिक भ्रष्टाचार से भी जघन्य अपराध है। विगत 03 वर्ष में कागज खरीदी एवं प्रिन्टिग के समस्त टेण्डरों की ई.ओ.डब्ल्यू के द्वारा जांच की जानी चाहिए।

गौरतलब है कि पाठय पुस्तक निगम का मुख्य कार्य शासकीय स्कूलो के लिए पुस्तकों की छपाई कराना है। यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि कि जब टीबीसी का मुख्य कार्य पुस्तकों की छपाई कराना है तब स्कूलों के लिए यूनिफार्म सप्लाई/रसोई सामग्री इत्यादि खरीदने का कार्य कैसे किया जा रहा है ? श्री विनय निगम कई वर्षो से पाठय पुस्तक निगम में मुख्य महाप्रबंधक एवं बाद में प्रबंध संचालक के पद पर जमे रहे और जमकर मनमानी करते रहे। ये एक तरफ मुख्य महाप्रबंधक के पद पर टेंडर प्रकिया को आगे बढ़ाते थे, वहीं दूसरी ओर प्रबंध संचालक की हैसियत से उन पर निर्णय भी लेते थे। स्पष्ट है कि इन कार्यो को मंत्री जी की सहमति से अंजाम दिया जा रहा था।

6. भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए डॉ. अरूण सिंह एवं विरेन्द्र तिवारी को प्रतिनियुक्ति लेना:–

मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए ही म.प्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 08.10.2025 से डॉ. अरूण सिंह, प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल की सेवाएं 02 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर राज्य शिक्षा केन्द्र में अपर संचालक के पद पर ली गई हैं। संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा इन्हीं डॉ. अरूण सिंह को आदेश कमांक/राशिके/स्टोर/3470 दिनांक 10.06.2026 से राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत राज्य स्तरीय निविदाओं आदि के तकनीकी परीक्षण हेतु तकनीकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है ताकि व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार/घोटालो की जड़ में श्री विरेन्द्र तिवारी नाम का एक अदना सा बाबू है जो मंत्री का खास दलाल है। एक समय श्री तिवारी नीमच जिलें की नगर पंचायत में संविदा पर बाबू होता था, जो पर्ची काटने का काम करता था। श्री तिवारी मंत्री जी के गांव के पास नरसिंहपुर जिले के लोएरी गांव के रहने वाले हैं। जब श्री उदयप्रताप सिंह होशंगाबाद से सांसद होते थे, तब भी ये उनके लिए काम करते थे। शिक्षा मंत्री बनने के बाद श्री उदयप्रताप सिंह ने श्री तिवारी की सेवाएं म.प्र राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड में ले ली। इसके बाद से श्री तिवारी हमेशा मंत्री जी के बंगले पर बने रहते हैं एवं दलाली में लिप्त हैं। श्री तिवारी का इतना आंतक है कि शिक्षा मंत्री के 2 पूर्व ओएसडी श्री आशीष पांडे एवं श्री संजय सराफ मंत्रीजी को छोड़कर जा चुके हैं। श्री आलोक खरे, जो डीपीआई में संयुक्त संचालक हैं, श्री तिवारी के खास सहयोगी के रूप में काम करते हैं। उपरोक्त सभी घोटालो में श्री तिवारी की मुख्य भूमिका है। अगर इनकी चल–अचल संपति की जांच करा ली जाए तो सारी स्थिति स्वंय स्पष्ट हो जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

यहां यह प्रश्न भी पैदा होता है कि जब स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूलों को आंवटित बजट, उनके अनुरक्षण (मेंटेनेंस), पुस्तकों की छपाई/सप्लाई, यूनिफार्म सप्लाई एवं रसोई सामग्री सप्लाई इत्यादि में घोटाले दर घोटाले हो रहे थे तब विभाग का सचिव/प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण जैसे वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे ? स्पष्ट है कि ये अधिकारी या तो (inefficient) अक्षम हैं या (Corrupt) भ्रष्ट हैं या दोनों ही हैं, जिसके लिए डॉ. संजय गोयल IAS सचिव स्कूल शिक्षा, श्रीमती शिल्पा गुप्ता IAS पूर्व लोक शिक्षण आयुक्त, श्री विनय निगम IAS पूर्व प्रबंध संचालक/मुख्य महाप्रबंधक पाठ्य पुस्तक निगम, श्री रोहित सिंह IAS प्रबंध संचालक पाठ्य पुस्तक निगम एवं श्री हरजिंदर सिंह संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। जांच उपरांत इनके विरूद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए।

यहां यह भी गौरतलब है कि पाठय पुस्तक निगम में हो रहे भारी भ्रष्टाचार को देखते हुए मुख्यमंत्री म.प्र द्वारा निगम के अध्यक्ष पद से जुड़े प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार स्कूल शिक्षा मंत्री के बजाय सीधे अपने पास रखे हैं। इन घोटालो में स्कूल शिक्षा मंत्री के अलावा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त समस्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की चल–अंचल संपत्तियों की जांच की जावें ताकि शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का भंड़ा–फोड़ हो सके।

8/11/26

(आजाद सिंह डबास)
अध्यक्ष, सिस्टम परिवर्तन अभियान

क्रमांक/1721

भोपाल, दिनांक 08.11.2026

प्रतिलीपिः– श्री अशोक बर्णवाल, मुख्य सचिव, म.प्र शासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सरकारी स्कूलों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना नितांत आवश्यक है। कृपया डीजी ई.ओ.डब्लयू को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

8/11/26

(आजाद सिंह डबास)
अध्यक्ष, सिस्टम परिवर्तन अभियान

Scanned with OKEN Scanner